

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2025(GCMS 2025/290)

(RTI No.: 212783954359184)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह गांव 5 केएसडी, सुखेशपुर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 94619-41862)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर



05.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.04.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 28.04.2025 से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

1. वर्ष 1991 से वर्ष 1995 तक (5 वर्षों की अवधि) की अवधि में श्रीगंगानगर जिले में श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त किए गए शपथ आयुक्तों (OATH Commisioner) की सूची मय शपथ आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए दी गई अनुमति की अवधि के विवरण सहित को प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/1480 दिनांक 09.07.2025 को अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया था, अति. जिला कलक्टर ने अपने पत्रांक आरटीआई/--/2025/469 दिनांक 10.07.2025 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्टर, श्रीगंगानगर को सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/3540 दिनांक 18.11.2025 से सम्बन्धित रिकॉर्ड मय भिजवाने हेतु प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्टर को लिखा गया तो राजस्व शाखा ने उक्त पत्र मूल ही न्याय शाखा को भिजवा दिया, जिस पर कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/3935 दिनांक 29.11.2025(स्मरण पत्र) एवं 4044 दिनांक 10.12.2025(स्मरण पत्र-2) से प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा,



Monu
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:


धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं?, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरंत तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जु)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर